प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सात'

[26/2/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 16]

परिशिष्ट-अ

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 16

आयुक्त, खाद्य द्वारा दिनांक 07-06-2010 को जिलाधीश अशोकनगर को कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देश

1. उचित मूल्य की दुकान महोली, तगारी, निदानपुर, विक्रमपुर, हिरावल, सतपईया एवं बढेरा की प्रतिवेदन में उल्लेखित पाई गई कमियों के दोषी पाए गए विक्रेताओं एवं समिति प्रबन्धकों के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जाए।

2. लीड सहकारी समिति प्राणपुर के समिति प्रबंधक, समिति में अनावश्यक हस्तक्षेप रखने वाले श्री जगदीश कुशवाह समिति प्रबंधक हिरावल के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जाए।

3. लीड समिति को निरस्त कर इनके स्थान पर सही कार्य करने वाली पात्र समिति को लीड का कार्य सौंपा जाए।

4. अनियमितता करने वाले उक्त विक्रेताओं एवं समिति प्रबंधकों को पृथक करते हुए इन्हें भविष्य में कही भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य न दिया जाए।

5. प्रतिवेदन के साथ संलग्न वसूली पत्रक अनुसार उचित मूल्य की दुकानों एवं लीड समिति से कालाबाजारी की गई मात्रा की राशि दर्शाई गई दर (इकानामिक कास्ट/इश्यु रेट) से दोषी व्यक्तियों से वसूली की कार्यवाही की जाए।

6. जिले में निरीक्षण रोस्टर जारी नही करना, उचित मूल्य की दुकान की स्थिति एवं संख्या का निर्धारण तथा लीड समिति को अनुज्ञप्ति जारी करने संबंधी कार्यवाही न करना, बीपीएल एवं अन्त्योदय अन्न योजना के राशनकार्डो पर शासन के वितरणमान से कम केरोसीन प्रदाय कर फ्री सेल में केरोसीन वितरण कराकर निर्देशों का उल्लघंन करना पाया गया हैं, इसके लिए दोषी अधिकारीयो का दायित्व निर्धारित कर संचालनालय को अवगत कराया जाए ताकि उनके विरूद्ध इन अनियमितताओ के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके।

7. अनुविभाग चन्देरी के जांच अवधि में पदस्थ अधिकारियों जिन्होने अपने निरीक्षण के दायित्वों का निर्वहन नही किया उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु समस्त दस्तावेज आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को प्रेषित किए जाए।

8. अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी द्वारा समिति प्रबंधक की अनुशंसा पर दुकानों का संलग्नीकरण करना एवं तीन नगरीय उपभोक्ताओं भण्डारों को ग्रामीण क्षेत्र मे उचित मूल्य की दुकाने आवंटित करने की अनियमितता के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

9. उप पंजीयक सहकारी संस्था कार्यालय द्वारा चन्देरी क्षेत्र की सभी समितियों की विगत 5 वर्षो की ऑडिट की स्थिति की जानकारी प्राप्त की यथासमय आडिट न कराने और ऑडिट रिर्पोट का पालन न कराने के लिए संबंधित दोषियों पर कार्यवाही हेतु पंजीयक सहकारी संस्था को लिखा जाए।

10. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक गुना के अध्यक्ष श्री राधावल्लभ किरार, द्वारा वर्ष 2007-08 के सेवा सहकारी समिति प्राणपुर के अंकेक्षण का पालन न कराने एवं संबंधित सहकारी समितियो के अध्यक्षों पर आडिट प्रतिवेदन का पालन न करने के लिए कार्यवाही का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया जाए।

11. चन्देरी तहसील की शेष उचित मूल्य की दुकानों की भी उक्त जांच माह जूलाई, 2009 से मार्च, 2010 के आवंटन, उठाव एवं वितरण की उपभोक्ताओं के राशनकार्डो से पुष्टि कराते हुए जांच कराई जाए।

संयुक्त संचालक
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,
संचालनालय, भोपाल (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग